DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2022 DATED

आइजीआइ एयरपोर्ट नाले का निर्माण शुरू, एक वर्ष में हो जाएगा पूरा

गौतम कुमार मिश्रा • नई दिल्ली

आइजीआइ एयरपोर्ट को जलभराव की समस्या से स्थायी निजात दिलाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट व द्वारका के बीच करीब तीन किलोमीटर लंबा नाला बनाया जा रहा है। यह नाला एयरपोर्ट में एकत्र होने वाले बरसात के पानी को द्वारका में निर्माणाधीन भारत वंदना पार्क परिसर में स्थित जलाशय तक पहुंचाएगा। एक अनुमान के मुताबिक नाले से करीब एक करोड़ लीटर वर्षा का पानी जलाशय में जमा होगा। इस पानी का इस्तेमाल भारत वंदना पार्क में सिंचाई से जुड़े कार्यों में हो सकेगा।

- नाला निर्माण के आड़े आ रहे पेड़ों को किया जा रहा ट्रांसप्लांट
- एयरपोर्ट और द्वारका के बीच तीन किलोमीटर लंबा नाला बनेगा
- जलभराव के कारण एयरपोर्ट की छवि को होता है नुकसान

द्वारका में पेड़ों को किया जा रहा ट्रांसप्लांट • सौ. सुधी पाठक

दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में शामिल आइजीआइ एयरपोर्ट की छवि को वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव से काफी नुकसान पहुंचता है। इससे आवागमन तो प्रभावित होता ही है, यात्रियों को भी परेशानी होती है। इस वर्ष भी वर्षा के दौरान टर्मिनल-3 के भीतर व फोरकोर्ट में पानी एकत्र हो गया था। इसका वीडियो व तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुई थीं। इससे एयरपोर्ट की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। पिछले वर्ष भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी।

आइआइटी ने बनाया डिजाइन : नाले का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से किया जा रहा है। निर्माण पर करीब सौ करोड़ रुपये की लागत आ रही है। नाले का डिजाइन आइआइटी रुड़की के विज्ञानियों ने तैयार किया है। डीडीए के अभियंताओं का कहना है कि नाला एयरपोर्ट के किनारे से गुजरने वाली रेवाड़ी रेलवे लाइन से शुरू हुआ है, जिसे ट्रंक ड्रेन संख्या दो से जोड़ा जा रहा है। यहां से पानी भारत वंदना पार्क जलाशय तक पहुंचेगा। नाले का आकार दो मीटर चौड़ा तथा 20 मीटर गहरा है।

कई कालोनियों को होगा फायदा : नाला बनने के बाद कई कालोनियों को फायदा पहुंचेगा। अभी एयरपोर्ट की चारदीवारी से सटे द्वारका सेक्टर आठ, राजनगर, बागडोला में वर्षा के समय हर वर्ष जलभराव की स्थिति रहती है। यहां पानी के निकास का समुचित इंतजाम नहीं है। एयरपोर्ट पर टर्मिनल-3 के निर्माण के बाद यहां समस्या और बढ़ी है, लेकिन नाला निर्माण के बाद इस क्षेत्र का पानी भी भारत वंदना पार्क के जलाशय में पहुंचेगा। नाला निर्माण के रास्ते में कई पेड़ आ रहे थे, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक था। जब वन विभाग ने इस कार्य पर आपत्ति जताई, तब मामला कोर्ट पहुंचा। डीडीए को सभी पेड़ ट्रांसप्लांट करने की अनुमति मिली।

हिन्दुस्तान

डेंगू की रोकथाम के लिए विभागों की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में समन्वय बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, डीडीए, दिल्ली पुलिस, तिहाड़ जेल , दिल्ली नगर निगम पालिका ,उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सहित अन्य निकायों के अधिकारी शामिल हुए थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, OCTOBER 13, 2022 -----DATED---------------------

Dump sites 'time bombs', NGT seeks control room

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: Pulling up the Delhi government and MCD for failing to dispose of the garbage in the three landfills of Delhi, the National Green Tribunal said the dump sites are like "time bombs" as they constantly generate explosive gases like methane which may escape through vertical and lateral ways posing constant threat of explosion.

The NGT directed a slew of restoration measures that includes scientific disposal, construction of boundary wall, biofencing, plantation, leachate treatment facility etc. The tribunal also directed the government to set up a control room within a month to extend immediate help in emergencies to the people living near the landfills.

It further pointed out that the 152 acres under the landfills are worth over Rs 10,000 crore at applicable circle rate and much more at market value. "There is thus urgency to retrieve the said public asset for beneficial public use," the NGT said.

NGT sought the penalty amount of Rs 900 crore to be submitted within one month, in a ring-fenced account to be operated under the directions of the Delhi chief secretary. The amount is based on cost to restore the landfills at approximately Rs 300 per metric tonne. The government said it is still studying the order.

"Following the pattern adopted in respect of other states, we hold the NCT of Delhi liable to pay environmental compensation of Rs 900 crore having regard to the quantity of undisposed waste which is to the extent of 3 crore MTs at three landfill sites. This amount has to be used for restoration measures to recover the land which is of ten times the value," the order issed Wednesday said, adding that funds can be raised from the generators of waste, violators, erring officers, corporates and if needed, from a part of the land under the garbage.

The order came following a fresh matter taken up based on TOI reports on landfills, including one published on April 22 that pointed out violations of Solid Waste Management Rules, 2016, in handling of legacy waste in Delhi. "Steps taken so far do not meet the mandate of law and are not commensurate to the grim factual emergency constantly threatening safety and health of citizens and the environment with no accountability of officers entrusted the task," the NGT said.

According to the tribunal, about 80% of the legacy waste — 220 lakh metric tonne — remained unprocessed. It further pointed out the gap of 5,996 MT per day in processing and generation, which accounts for an additional 66 lakh metric tonne in last three years alone. "So far, the work has been delegated to lower-rank officers who have not been adequately able to handle the situation," the tribunal said.

"To compensate the affected citizens of the area, the authorities are under obligation to develop dense forest in at least on one-third of the land occupied by the dumpsite, after the sites are cleared. One-third can be utilised for setting up Integrated Waste Management Facilities or other like infrastructure. The remaining one-third can be utilised for any other purpose, including raising of funds consistent with environment concerns without affecting the use of the two-thirds, as earlier mentioned," the tribunal said.

It further ordered that no additional waste is dumped at the site with legacy waste. Post-collection, the waste must be taken to facilities like composing centres, C&D waste centres, waste-to-energy units and cement factories, the NGT said. To minimise foul smell, it said multiple rows of native trees, which can grow fast with less water, must be planted. "This requires careful planning and execution with the involvement of senior-level officers instead of leaving the task to junior officers as appears to be currently happening... A clear action plan with defined course of action needs to be drawn up after brainstorming and studying the remediation processes adopted at other places," the order said.

HEAPS AND MOUNDS

File photo

Landfills in Delhi

- **Ghazipur** | 1.4 crore MT approx total waste | Spread over 70 acres
- **Bhalswa** | 80 lakh MT | 36 acres
- **Okhla** | 55-60 lakh MT | 46 acres

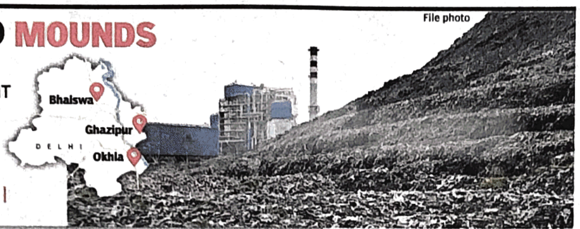

NGT directions

- ₹900 crore of **environmental compensation** to be paid by Delhi government
- Amount has to be used for **restoration of landfills and management of waste**
- **Over 3 crore MT** of waste not disposed at the three landfills
- **Over 150 acres** under the landfills estimated to be over ₹10,000 crore
- **Cost of restoration** assessed at ₹300 per MT of waste
- Develop dense forest in at least one-third of the area, waste management facilities on one-third and the remaining one-third for any other purpose, without affecting the use of the remaining area
- **A monitoring committee** to be headed by Delhi chief secretary with officials from LG office, MCD, DDA, CPCB, district magistrates, police, etc
- Nominees of municipal corporations of Ahmedabad and Indore could be special invitees
- **Submit interim progress report by January 15, 2023**
- Expansion of projects such as **expanding waste-to-energy plant** without environment clearance, but within norms
- Current waste not to be added to legacy waste

An action plan to be made to deal with legacy waste

Similar penalty on other states in September 2022

(in ₹ crore)

Punjab	180
West Bengal	500
Rajasthan	555
Telangana	177
Maharashtra	1,200
Bandhwari, Gurgaon	100

MCD tells 3 hospitals to add dengue beds

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has issued an advisory to three surveillance hospitals — Hindu Rao, Kasturba and Swami Dayanand — to increase the number of beds for dengue and malaria patients if occupancy in dedicated wards reaches 80%.

The move comes in the wake of a rise in dengue cases and Delhi government's directive to reserve beds for such patients.

Officials said Hindu Rao hospital has 70 dedicated beds, Kasturba 75 and Swami Dayanand 25. So far this year, 300 dengue and suspected cases have been reported from these hospitals.

"The arrangements for dedicated beds were made much before cases started rising in late September. Of the 170 beds, eight are occupied in Kasturba, 36 occupied in Hindu Rao and four occupied in Swami Dayanand," said an official.

36 OF THE 70 DEDICATED BEDS AT HINDU RAO OCCUPIED

MCD's hospital administration said it had arranged a 24x7 testing lab, fever clinics and blood bank facilities at the three facilities. It has also called an inter-sectoral meeting with representatives of various departments to discuss the perennial issues that require immediate attention to check vector-borne diseases. These include inaccessible overhead tanks in CPWD, DDA and other government colonies that can lead to mosquito breeding, violations at major construction sites, timely disposal of solid waste to avoid water collection in plastic material and desilting of water bodies/drains.

"Our teams found major violations at PWD and CPWD construction sites. It was also highlighted at the meeting that 4,700 overhead tanks in government colonies are not accessible through stairs and can't be cleaned," said an official.

"All stakeholders had submitted action plans in Delhi HC about measures adopted to control vector-borne diseases. We have advised department representatives to implement these properly and take our help, if required," said an official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्तव्य ● समर्पण ----------DATED---- नई दिल्ली गुरुवार 13 अक्तूबर 2022

भाईचारे और सौहार्द का अनूठा मेल

फूल वालों की सैर डॉ. विनोद यादव

विश्व की तमाम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का आदर और जीवंतता इसलिए कायम है कि यह आपसी सहमति, बंधुत्व-भाव और पारस्परिक सौहार्द से निर्मित है। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि आदिकाल से भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व विश्व का कल्याण है। दरअसल, भारतीय संस्कृति के दो खास पहलू हैं- आध्यात्मिकता, और धार्मिक सहिष्णुता। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का आंतरिक पहलू है और धार्मिक सहिष्णुता बाहरी। गौरतलब है कि आध्यात्मिकता, धार्मिक सहिष्णुता और गंगा-जमुनी तहजीब के अनूठे मिश्रण का प्रतीक है 'फूल वालों की सैर' का मेला। इसका भावार्थ है- फूलों की बारात यानी दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा संचालित वार्षिक उत्सव।

तीन दिवसीय त्योहार वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर महीने में पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र किला राय पिथौरा यानी महरौली इलाके में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार 61 सालों के बाद अक्टूबर महीने में रिकार्डतोड़ बारिश अक्टूबर महीने में हो रही है। यह महोत्सव दिल्ली की मिली-जुली सौहार्दपूर्ण संस्कृति का नायाब उदाहरण पेश करता है। असलियत में इस मेले का खास आकर्षण है, गंगा-जमुनी तहजीब के तौर पर हिंदू-मुस्लिम सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक रंग-बिरंगे खुशबूदार फूलों का पंखा और फूलों की चादर जो दिल्लीवासियों की ओर से दिल्ली के खास मेहमानों द्वारा क्रमशः महरौली के योगमाया मंदिर और कुतुब परिसर के निकट स्थित सूफी ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाए जाते हैं। जहां तक फूल वालों की सैर के महोत्सव की ऐतिहासिकता का प्रश्न है तो स्पष्ट तौर पर इसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबरशाह द्वितीय के शासनकाल में बादशाह की पत्नी बेगम मुमताज ने की थी। गौरतलब है कि मुगल बादशाह के शहजादे मिर्जा जहांगीर का किसी बात पर ब्रिटिश रेजीडेंट से झगड़ा हो गया था, फलस्वरूप अंग्रेजों ने शहजादे को सजा सुनाकर इलाहाबाद जेल में बंद कर दिया था। बेगम मुमताज अपने बेटे मिर्जा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उसने मन्नत मांगी कि बेटे की रिहाई होने पर सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की मजार पर फूलों की चादर चढ़ाएगी।

बेगम की दुआ शीघ्र कबूल हुई, अंग्रेजों व मुगलों में सुलह हो गई और उन्होंने मिर्जा जहांगीर को रिहा कर दिया। इस खुशी में ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह और योगमाया मंदिर समेत पूरे महरौली क्षेत्र में तीन दिन तक महोत्सव मनाया गया तथा दरगाह व मंदिर को हिंदू-मुस्लिमों ने परस्पर मिलकर खास तौर से रंग-बिरंगे फूलों से सजाया। दरअसल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सूफी परंपरा में चिश्ती सिलसिले के ऐसे प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, जो दिल्ली के सभी संप्रदायों के लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। असलियत में इन सूफी संतों का समकालीन समाज को कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद व सांप्रदायिक द्वेष जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने में विशेष योगदान रहा। आम तौर पर विद्वानों में मान्यता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति 'सफा' शब्द से हुई है यानी पवित्र, आत्मसंयम व ईमान का जीवन जीने वाला पुरुष जो इस्लामी रहस्यवाद वहदत-उल-वुजूद अर्थात परमात्मा के एकत्व सिद्धांत में विश्वास रखता है, और परमात्मा से अटूट मोहब्बत व मानवता की सेवा ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे सूफी संत ख्वाजा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग अंजुमन-सैर-ए-गुल-फरोशां सोसाइटी द्वारा आयोजित फूल वालों की सैर के मेले में एकत्र होते हैं, और पारस्परिक सौहार्द व भाईचारे की निरंतरता को आगे बढ़ाते हैं।

अंग्रेजों ने 1942 में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था। आजादी के बाद 1962 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मिलित प्रयासों से गंगा-जमुनी तहजीब की परंपरा को और प्रगाढ़ करने के लिए फूल वालों की सैर मेले को फिर शुरू किया गया। आज इस महोत्सव की छटा पारस्परिक प्रेम व भाईचारे बानगी अलग ही नजर आती है। इसकी शुरुआत सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से आध्यात्मिक जुलूस से होती है। महरौली काकी की दरगाह पर जुलूस का समापन होता है। जुलूस का नेतृत्व सूफी कव्वाल और संगीतकार करते हैं। राष्ट्रीय एकता के संदेशवाहक इस मेले का मुख्य आकर्षण है कि हर वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल परंपरागत ढंग से फूलों का पंखा व छत्र दरगाह और मंदिर में चढ़ाते हैं। एलजी हाउस और दिल्ली सचिवालय में सद्भावनापूर्ण शहनाई वादन होता है। इंडिया गेट पर भी फूलों के पंखे, शहनाई और ढोल-ताशे के साथ सद्भावना जुलूस निकाला जाता है। महरौली के डीडीए पार्क एवं जहाज महल में कुश्ती, कबड्डी और अन्य खेलों का आयोजन किया जाता है।